## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :- श्री मनमोहन मीना, आर ए एस

वाद पत्र संख्या :- 09 / 2022

उनवान

1. जैराम पुत्र रामस्वरूप
2 नरेन्द्र पलसानियां पुत्र श्री मुंशीराम
3 राकेश पुत्र गिरधारीलाल
4 राजेश पुत्र गिरधारीलाल
5 श्रीमती गीता देवी पत्नि हरलाल सिंह
6 सुंसीलाल पुत्र सुण्डाराम
7 भागीरथ पुत्र कन्हैयालाल

प्रार्थी

बनाम

1.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील कार्यालय शाहपुरा जिला जयपुर।
2 रतनकुमार पुत्र हनुमानसहाय
3 विनोद कुमार गुप्ता पुत्र राजेन्द्र कुमार
4 शंकरलाल पुत्र रामगोपाल गुप्ता
5 सुरेशकुमार पुत्र भंवरलाल जाति गुर्जर
6 बाबूलाल पुत्र गणपतलाल जाति जाट
7 मदनलाल पुत्र कानाराम जाति जाट
8 सुरेन्द्रकुमार पुत्र मुंशीलाल जाति जाट
9 भागीरथराम पुत्र मंगलाराम जाति बलाई निवासी राजपुरा

अप्रार्थीगण

**प्रा0पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 एलआरएक्ट 1956**

निर्णय दिनांक: 25.8.2022

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है। प्रार्थी के द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र पेश किया गया है कि ख.नं. 804 रकबा 0.5664 है0, वाके ग्राम बिदारा तहसील शाहपुरा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि स्थित है जिसका तहसीलदार शाहपुरा के आदेश कमांक/सीमा/ 2021/ 11 दिनांक 11.16.21 की पालना में पडौसी खातेदारान व ग्राम के मौतबिरान की उपस्थिति में दिनांक 30.6.2021 को सीमाज्ञान किया गया है। उक्त सीमाज्ञान दिनांक 30.6.2021 के बाद से पडौसी खातेदारान ने धीरे धीरे प्रार्थीगण की भूमि दबाना व अनाधिकृत अतिक्रमण प्रारम्भ कर दिया है जिससे आपस में विवाद होने की पूर्ण संभावना बन चुकी है जिस कारण प्रार्थीगण को स्थाई सीमाकंन हेतु प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ ।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ता ली जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया । अप्रार्थी सं0 2 से 5 की ओर से श्री रविशंकर अग्रवाल उपस्थित आये तथा अप्रार्थीगण की भूमि आराजी खसरा नम्बर 805 रकबा 0.89 है0 की भूमि की भी पत्थरगढी किये जाने हेतु निवेदन किया । उभय पक्ष की बहस के दौरान दोनो अधिवक्ताओं ने उक्त दोनों खसरा नम्बर की पत्थरगढी किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया ।

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

हमने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक मनन किया । प्रकरण मे पाया गया कि प्रश्नागत आराजी खसरा नम्बर 804 का दिनांक 30.6.2021 को तथा खसरा नम्बर 805 का दिनांक 19.6.2022 को गिरदावर हल्का खोरी व पटवारी हल्का के द्वारा सीमाज्ञान किया गया है ,प्रार्थी के द्वारा अपनी भूमि की सुरक्षा एवं आस पास के खातेदारों द्वारा सीमाचिन्ह के अभाव में सींव डोल काटने से आये दिन होने वाले विवादों की वजह से पत्थरगढी करवाना चाहता है। पत्थरगढी करवाना एक खातेदार/काश्तकार का अधिकार है तथा इसके द्वारा अपनी सीमा के विवाद, सीमा दबाना आदि अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचाव का यह एक उपाय है जिसके अभाव में काश्तकार अपनी सीमा चिन्ह से सुरक्षा आदि उपाय नहीं कर सकते है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा को आदेशित किया जाता है कि प्राथीगण की प्रश्नागत आराजी ख.नं. 804 रकबा 0.5664 है0, तथा अप्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 805 रकबा 0.89 है0 भूमि है0 वाके ग्राम बिदारा तहसील शाहपुरा का आस पास के पडौसी खातेदारान को सुचित करते हुए उनकी उपस्थिति में मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 30.6.2021 व 19.6.2022 के अनुसार नियमानुसार पत्थरगढी करवावे । तदानुसार तहसीलदार शाहपुरा को आदेश जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 25.8.2022 को सरै इजलास सुनाया गया ।

( मनमोहन मीना )
उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान